राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ20(101)आयोजना भिन्न/लेखा/निकाशि/2013–14/189-317 दिनांक 10.06.2013

1.प्राचार्यसमस्त राजकीय महाविद्यालय
2.सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा
अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर।
3.कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी कालेज
शिक्षा राज0 जयपुर।

विषय :– वित्त वर्ष 2013–14 में महाविद्यालयों / कार्यालयों को चिकित्सा मद में उपलब्ध राशि के उपयोग करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त वर्ष 2013–14 के लिये आपके महाविद्यालयों को (04) चिकित्सा (आयोजना भिन्न) मद मे बजट आवंटन किया गया था । प्रायः यह देखा जाता है कि इस मद में उपलब्ध राशि का उपयोग वर्ष के अन्तिम माहों में किया जाता है जिससे महाविद्यालय स्तर पर अनावश्यक रूप से चिकित्सा बिल पुर्नभरण हेतु लम्बित रहते है ।

आपके महाविद्यालय में पेन्डिग चिकित्सा बिलों को नियमानुसार जॉच कराकर दिनांक 25.6.2013 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे और यदि पेन्डिग बिलों की स्थिति आवंटित राशि से अधिक है तो अतिरिक्त बजट आवंटन के प्रस्ताव मय औचित्य के साथ दिनांक 30.6.2013 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें।यदि दिनांक 30.6.2013 तक आपके महाविद्यालय से कोई अतिरिक्त राशि की मांग प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जावेगा कि आपके महाविद्यालय में कोई चिकित्सा बिल लम्बित नहीं है। अतिरिक्त मांग के प्रस्ताव निम्नांकित प्रपत्र मे भिजवाये ।

नाम महाविद्यालय ....

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	चिकित्सा बिलों की नियमानुसार जॉच उपरान्त पुर्नभरण योग्य राशि	महाविद्याल में बिलो को प्रस्तुत करने का दिनांक	बिलों के लम्बित रहने के कारण
1				

वित्तीय संलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

E:\GOYAL\latter.doc